प्रिय छात्र / छात्रा,

जैसा कि समावेशी शिक्षा भाग-1 में यह चर्चा की गयी थी की समावेशी शिक्षा व्यवस्था "नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016" के आलोक में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है अत: समावेशी शिक्षा की पाठ्य-चर्चा के क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि "नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016" के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा की जाये इसलिए समावेशी शिक्षा भाग-2 में इसी से सम्बंधित महत्वपूर्ण सन्दर्भों पर चर्चा की गयी है जो अवश्य ही आप सब के लिए उपयोगी साबित होगी।

प्रस्तुत सामग्री में मानवीय त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं अत: आप सब से अनुरोध है की त्रुटियों से मुझे अवगत कराते हुए उपयोगी पाठ्य-सामग्री से लाभन्वित हों।

धन्यवाद....!

-आभा द्विवेदी
मो०- 8577098888

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

The Right of Persons with Disabilities Act (RPWD Act), 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संक्षेप में व्याख्या:

27 दिसंबर, 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया। जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया गया था। जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसलिए उसके बिंदुओं को ध्यान में रखकर के इस नए कानून को -United National Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) यूएनसीआरपीडी के आधार पर बनाया गया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएँ:

❖ **विकलांगता की परिभाषा में बदलाव:**

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है।
- दरअसल, इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और नि:शक्तता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है।

❖ **निःशक्तता के 21 प्रकार निम्नलिखित है:**

1. गतिविषयक निशक्तता (Locomotor Disability)
2. कुष्ठ रोग व्यक्ति (Leprosy Cured Person)
3. प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy)
4. बौनापन (Dwarfism)
5. बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy)
6. अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victims)
7. अंधता (Blindness)
8. निम्न दृष्टि (Low Vision)
9. श्रवण शक्ति का ह्रास (Hearing Impairment)- बधिर व ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति (Deaf & Hard of Hearing)
10. अभिवाक और भाषा निःशक्तता (Speech and Language Disability)
11. बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability
12. विनिर्दिष्ट विद्या नि:शक्तता (Specific Learning Disability)
13. स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder
14. मानसिक रुग्णता (Mental Illness)
15. चिरकारी तंत्रिका दशाएं (Chronic Neurological Conditions)
16. बहु-स्केलोरोसिस (Multiple Sclerosis)
17. पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease)

18. हीमोफीलिया (Hemophilia)
19. थैलेसीमिया (Thalassemia)
20. सिक्कल कोशिका रोग (Sickle Cell Disease)
21. बहु निशक्तता (Multiple Disabilities)

❖ **आरक्षण की व्यवस्था:**

- गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

❖ **शिक्षा संबंधी सुधार:**

- इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता (Benchmark-Disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
- साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।

❖ **फंड की व्यवस्था:**

- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय और राज्य निधि' (National and State Fund) का निर्माण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा।

❖ **अवसरंचना संबंधी सुधार:**

- सुलभ भारत अभियान को मज़बूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक इमारतों (सरकारी और निजी दोनों) में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

❖ **गार्डियनशिप की व्यवस्था:**

- यह विधेयक ज़िला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी।

❖ **बेंचमार्क विकलांगता के लिये विशेष प्रावधान:**

- गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40 फीसदी विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

❖ **अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान:**

- दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिये प्रत्येक ज़िले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।
- नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा।

- भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा।

❖ ***इस संबंध में सरकार के प्रयास:***

- **सुगम्य भारत अभियान:**
  - दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया।
  - इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख उद्देश्यों- विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता तथा ज्ञान एवं आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगो को सशक्त बनाना शामिल हैं।

- **सुगम्य पुस्तकालय:**
  - सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरुआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।
  - नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं।

- **यूडीआईडी कार्ड:**

- भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है।
- इस पहल से दिव्यांग प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग-अलग कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी।
- इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

➢ **स्वावलंबन योजना:**

- दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पाँच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है।
- इस कार्ययोजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

❖ **समस्या-समाधान**:

- दिव्यांगजनों के लिये के लिये समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूर्व में आरक्षित 3 प्रतिशत (अब 4 प्रतिशत) सीटों में से लगभग 1 प्रतिशत सीटों पर ही भर्तियाँ हो पाई हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति के दायरे से बाहर हैं।

- मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।
- सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।
- रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का आभाव विकलांगों के साथ-साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिये भी एक बड़ी समस्या है।
- नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ-साथ रोज़गार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है, फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो।
- दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।
- यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरक्षः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है।
- साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर ज़ोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिये एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिये और 'पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी' जैसे उपायों को आजमाना चाहिये।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
अनुसूची (धारा 2 का खंड-यन)
विनिर्दिष्ट नि:शक्तता

(1) शारीरिक निशक्तता (Physical Disability)

(अ) गतिविषयक निशक्तता (Locomotor Disability)-

व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत-

I. **कुष्ठ रोग व्यक्ति (Leprosy Cured Person)-**

यह ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ रोग से रोग मुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है-

- हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्ति भी विरुपता नहीं है।
- व्यक्त विरुपता और आंशिक घात किंतु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम हैं।
- अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

II. प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy)-

प्रमस्तिष्क घात से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। साधारणत: जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है।

III. बौनापन (Dwarfism)-

बौनापन से कोई चिकित्सीय अनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे न्यून रह जाती है।

IV. बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy)-

बहुदुष्पोषण से वंशानुगत, अनुवांशिक पेशी रोग का समूह ओत-प्रेत है, जो मानव जीवन को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध हो जाती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती हैं जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।

V. अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victims)-

अम्ल आक्रमण पीड़ित से अम्लीय या सामान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण निरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(आ.) दृष्टिगत ह्रास (Visual Impairment)-

I. अंधता (Blindness)-

अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है-

- दृष्टि का पूर्णतया अभाव
- सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आंख दृष्टि संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्लेनन) से अन्यून या
- 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा।

II. निम्न दृष्टि (Low Vision)-

निम्न दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थित होती है, अर्थात-

- बेहतर आंख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 से अनाधिक या 20/60 से कम तीन 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) जिससे संवेदनशीलता या
- 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि आंतरिक किसी को उनके क्षेत्र में सीमाएं।

(इ) श्रवण शक्ति का ह्रास (Hearing Impairment)-

I. **बधिर (Deaf)-**

बधिर से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

II. **ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति (Hard of Hearing)-**

ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों में संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास व्यक्त अभिप्रेत है।

(ई.) अभिवाक और भाषा निःशक्तता (Speech and Language Disability)

अभिवाक और भाषा नि:शक्तता से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थाई नि:शक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक और भाषा के एक या अधिक संघटको को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability)-

बौद्धिक निःशक्तता से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक, सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अंतर्गत-

(क) विनिर्दिष्ट विद्या नि:शक्तता (Specific Learning Disability)-

विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता से एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमे भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है इसके अंतर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेल्कुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है।

(ख) स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)-

स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

(3) मानसिक व्यवहार (Mental Behaviour)

मानसिक रुग्णता (Mental Illness)-

मानसिक व्यवहार या मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखी करण या स्मरण शक्ति का विकास अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंदर मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के

मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

(4) निम्नलिखित के कारण निःशक्तता (Disability Cases due to):

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं (Chronic Neurological Conditions)-

I. बहु-स्केलोरोसिस (Multiple Sclerosis)-

बहु-स्केलोरोसिस से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों और रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसमें डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है।

II. पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease)-

पार्किंसंस रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी कठोरता और धीमा कठिन चलन, मुख्यतः मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई जा ह्रास से संबंद हो।

(ख) रक्त विकृति (Blood Disorder):

I. हीमोफीलिया (Hemophilia)-

हीमोफीलिया से एक अनुवांशिकी रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित

किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिसमें गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

II. थैलेसीमिया (Thalassemia)-

थैलेसीमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

III. सिक्कल कोशिका रोग (Sickle Cell Disease)-

सिक्कल कोशिका रोग से हीमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। 'हीमोलेटिक' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हीमोग्लोबिन का निकलना होता है।

(5) बहु नि:शक्तता (Multiple Disabilities)-

(उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट नि:शक्तता)

जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

(6) कोई अन्य प्रवर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा अभिसूचित किया जाए।

सन्दर्भ: http://uphwd.gov.in/site/writereaddata/siteContent/RPWD-ACT-2016.pdf